(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 09/2021– State Tax (Rate)

Dated: the 6 January 2022

No. F.3(144)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/19 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No.02/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for S. No. 86 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries thereto shall be substituted, namely: -

"86.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing *Explanation*: This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing.";

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of October, 2021.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3(144)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/19 **Dated: the 6 January 2022**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

Note: - The principal notification No. 02/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 15/2019-State Tax (Rate) dated the 1st June, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F.3(5)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-VI/168, dated the, 1st June, 2020.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भागचारमें प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्लीसचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 09/2021–राज्य कर(दर)

दिनांकः 6 जनवरी, 2022

सं0फा0 03(144)/वित्त (व्यय–I)/2021–22/डीएस–I//5 : दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03), की धारा 11 की उप धारा(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, के वित्त विभाग(राजस्व–I) की अधिसूचना संख्या 2/2017–राज्यकर(दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं0फा0 03(15)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/374, दिनांक 30जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते है, यथा :–

उक्त अधिसूचना में, अनूसूची में, क्रम संख्या 86 और उस से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उस से संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः–

'86	1209	बीज,फल और बीजाणु, बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के **स्पष्टीकरणः** इस प्रविष्टि में बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं है।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम

(मनोज कुमार)
उप सचिव– I (वित्त)

सं0फा0 03(144)/वित्त (व्यय– I)/2021–22/डीएस–I//4 दिनांकः : 6 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार

(असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11 वेब साईट।
12 गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार)
उप सचिव– I (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं0फा0 03(15)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/374 दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV में प्रकाशित किया गया था, और इस में अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2019–राज्य कर(दर), दिनांक 1 जून 2020 जिसे सं0फा0 03(5)/वित्त (राजस्व–I)/2020–21/डीएस–VI/168 दिनांक 1 जून 2020, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV,में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।